© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
International Journal of Scientific Research in Science and Technology

स्मृतिकालीन शिक्षा व्यवस्था एवं नारी तथा वर्त्तमान स्थिति

संगीता राय

शोधार्थिनी, संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान, जे.एन.यू, नईदिल्ली,भारत।

संक्षेपिका:- मनुष्य के जीवन में शिक्षा का अत्यधिक महत्त्व है। यह के उपकरण के सदृश्य है जो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने और उसके मन मस्तिष्क को प्रकाशित करता है। यह एक स्थायी प्रक्रिया है जो मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। यह मनुष्य के समग्र विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कौशल और कलाओं से परिचित होता है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से स्मृतिकाल में शिक्षा के विविध विषय यथा विद्या का महत्त्व, विद्यादान का महत्त्व, विद्या प्राप्त करने के अधिकारी तथा अनधिकारी आदि का वर्णन किया गया है। साथ ही यह भी प्रतिपादित किया गया है कि स्मृतिकाल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी अथवा नहीं। और वर्त्तमान समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति को भी प्रतिपादित किया गया है।

मुख्य शब्द:- मनुष्य, विद्या, स्त्री शिक्षा, वेद, स्वाध्याय।

वर्त्तमान समय में मनुष्य का जीवन विद्या के अभाव में पशु के तुल्य है। ऐसा माना जाता है कि विद्या से ही मनुष्य की ज्ञानाग्नि प्रदीप्त होती है और साथ ही साथ मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में मनु के कहा है कि जिस प्रकार अग्नि काष्ठ आदि को जलाकर तत्काल ही भष्म कर देती है उसी प्रकार वेदज्ञ ज्ञानरूपी अग्नि से सम्पूर्ण पापों को जलाकर नष्ट कर देता है –

"यथैधस्तेजसा वह्नि:, प्राप्तं निर्दहति क्षणात्।
तथा ज्ञानाग्निना पापं, सर्वं दहति वेदवित्॥" [1]

मनु ने वेदाभ्यास को महापापों के नाश का साधन माना है –

"वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या, महायज्ञक्रिया क्षमा।
नाशयन्त्याशु पापानि, महापातकजान्यपि॥" [2]

साथ ही साथ विद्या और तप को मोक्षप्राप्ति का उत्तम साधन माना है। इस संबंध में मनु ने कहा है कि मनुष्य तपस्या से पापों को नष्ट करता है और विद्या से मोक्ष प्राप्त करता है –

"तपो विद्या च विप्रस्य, नि:श्रेयसकरं परम्।
तपसा किल्विषं हन्ति, विद्ययाऽमृतमश्नुते॥" [3]

वशिष्ठ ने विद्या के आधार पर ही राजा और विद्वान् स्नातक की तुलना में विद्वान स्नातक को श्रेष्ठ माना है। अत: इस सम्बन्ध में वशिष्ठ का मानना है कि दोनों के मिलने पर राजा विद्वान के लिये मार्ग छोड़ दे – **"राजकस्नातकयो: समागमे राज्ञा स्नातकाय देय:।"** [4] वशिष्ठ ने धन, आयु, सम्बन्ध और कर्म की अपेक्षा विद्या को सर्वश्रेष्ठ माना है – **" विद्यावित्तवय:-सम्बन्धकर्म च मान्यम्॥"** [5]

स्मृतियों में विद्यादान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। अत्रि का कथन है कि विद्यादान सभी दानों में श्रेष्ठ है-

" सर्वेषामेव दानानां, विद्यादानं ततोऽधिकम्॥" [6]

मनु ने विद्या को रत्न के तुल्य माना है और कहा है कि उच्च या नीच जिससे भी विद्या मिले ग्रहण कर लेनी चाहिये। इस विषय में मनु का कथन है कि शुभ विद्या निकृष्ट से भी ग्रहण करनी चाहिए – **"श्रद्दधान: शुभां विदमाददीतावरादपि॥"** [7] उन्होंने कहा है कि बालक से भी सुभाषित को ग्रहण करना चाहिये-

---

[1] मनु.-११/२४७

[2] मनु-११/२४६

[3] मनु- १२/१०४

[4] वशिष्ठ-१३/२६

[5] वशिष्ठ-१३/२४

[6] अत्रि.-३३८

" विषादप्यमृतं ग्राह्यं, बालादपि सुभाषितम् ।" [8] विद्या के साथ स्त्रियाँ, रत्न, धर्म, स्वच्छता और विविध शिल्प को भी सभी स्थानों से ग्रहण करने की बात मनु ने की है-

"स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या, धर्मः शौचं सुभाषितम् ।
विविधानि च शिल्पानि , समादेयानि सर्वतः ॥[9]

इसके अतिरिक्त मनु ने स्वाध्याय के महत्त्व को भी प्रतिपादित किया है । उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति एक वर्ष भी विधिपूर्वक स्वाध्याय करता है उसे घी, दूध, दही, मधु सदा प्राप्त होते हैं –

" यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं , विधिनाः नियतः शुचिः ।
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधिघृतं मधु ॥" [10]

मनु का मानना है कि स्वाध्याय और यज्ञ में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिये । इन दोनों कर्मों से ही संसार का पालन होता है –

" स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्, दैव चैवेह कर्मणि ।
दैवकर्मणि युक्तो हि, बिभर्तीदं चराचरम् ॥" [11]

इसके अतिरिक्त मनु ने कहा है कि स्वाध्याय और और अध्यापन में जीवन की कृतकृत्यता है । अतः इनका कभी भी परित्याग न करें । इनमें विघ्न डालने वाले सभी अन्य कर्मों को छोड़ दें –

"सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः ।
यथा तथाध्यापयस्तु, सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥" [12]

गौतम और वशिष्ठ ने भी प्रतिदिन स्वाध्याय करना अनिवार्य बताया है । [13] वशिष्ठ ने प्रातःकाल उठते ही स्वाध्याय का विधान किया है – **"उत्थायापररात्रमधीत्य न पुनः प्रति संविशेत् ।"** [14]

स्मृति ग्रन्थों में विद्याध्ययन के अधिकारी का भी वर्णन प्राप्त होता है । मनु ने निरूक्त के विद्या सूक्त (२.४) को उद्धृत करते हुये कहा है कि अपनी रक्षा के लिये विद्या ब्राह्मण के पास आई और उसे कहा कि जो द्वेषी हो, उसे विद्या न दे । इसके विपरित जो ब्रह्मचारी, पवित्र, संयमी और अप्रमादी हो उसको ही विद्या दान करे –

"विद्या ब्राह्मणमेत्याह, शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम् ।
असूयकाय मां मा दस्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥
यमेव तु शुचिं विद्यान्नियतं ब्रह्मचारिणम् ।
तस्मै मां ब्रूहि विप्राय, निधिपायाप्रमादिने ॥" [15]

मनु ने दस प्रकार के शिष्यों को विद्याध्ययन का पात्र बताया है – आचार्या का पुत्र, गुरु की सेवा करने वाला, अन्य विषयों को जानने वाला, धर्मात्मा, पवित्र, सत्यवादी, ज्ञान के ग्रहण और धारण में समर्थ, धन देने वाला, सदाचारी और निकट सम्बन्धी –

---

[7] मनु- २/२३८

[8] मनु-२/२३९

[9] मनु-२/२४०

[10] मनु -२/१०७

[11] मनु- ३/७५

[12] मनु-४/१७

[13] देवपितृमनुष्यभूतर्षिपूजको नित्यस्वाध्यायः॥ गौतम- ५/२

[14] वशिष्ठ-१२/४४

[15] मनु- २/११४-११५

" आचार्यपुत्र: शुश्रूषुर्ज्ञानदो धार्मिक: शुचि: ।

आप्त: शक्तोऽर्थद: साधु:, स्वोऽध्याप्या दश धर्मत: ॥" [16]

याज्ञवल्क्य ने मनु मनु के द्वारा बताये शिष्यों के गुणों का भी समावेश किया है । याज्ञवल्क्य के अनुसार विद्या के पात्र हैं- कृतज्ञ, अद्रोही, मेधावी, पवित्र, स्वस्थ, अछिद्रान्वेषी, सदाचारी, ज्ञान ग्रहण करने में समर्थ, सत्यवादी, विद्यादानी एवं धनदानी –

"कृतज्ञाद्रोहिमेधाविशुचिकल्यानसूयका:।

अध्याप्या धर्मत: साधु:, शक्ताप्तज्ञानवित्तदा: ॥" *17*

इसके अतिरिक्त विद्याध्ययन के अनधिकारियों का भी वर्णन किया गया है । इस संदर्भ में मनु ने कहा है कि दोषों से युक्त व्यक्तियों को विद्याअ न दे । छिद्रान्वेषी को विद्या न दे –

"असूयकाय मां मा दास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ।" *18* मनु विद्याध्ययन के अनधिकारी का वर्णन करते हुये कहा है कि जिसमें धार्मिकता नहीं है, जो सम्पन्न और सोद्देश्य नहीं है और गुरुसेवा का भाव नहीं है, उसे विद्या न दे । इन्हें विद्या देना ऊसर में बीज लगाने के समान है –

"धर्मार्थौ यत्र न स्यातां, शुश्रूषा वापि तद्विद्या ।

तत्र विद्या न वक्तव्या , शुभं बीजमिवोषरे ॥" *19*

मनु का कथन है कि ऊसर में बीज बोने से अच्छा है कि वह विद्या गुरु के साथ ही समाप्त हो जाये । इसके अतिरिक्त जो छल से और अधर्म से विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी विद्या नहीं देना चाहिये ।[20]

स्मृति ग्रन्थों में चतुर्वर्ण के किये विभिन्न प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का भी वर्णन प्राप्त होता है । द्विजमात्र को वेद आदि की शिक्षा ग्रहण करने का विधान है । मनु का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वेदाध्ययन करें ।[21] प्रत्येक वर्ण के लिये अलग-अलग कर्त्तव्य बताये गये हैं वे अपने वर्ण के अनुसार करें । याज्ञवल्क्य और नारद स्मृतियों में उल्लेख है कि शिष्य, आभूषण निर्माण, नृत्य गीत और शिल्प कलाओं कि सीखने के लिये गुरु के पास अन्तेवासी के रूप में रहते थे । तथा निर्दिष्ट समय तक इन शिल्पों को सीखते थे । गुरु ही इनके भोजन आदि की व्यवस्था करता था । साथ ही जो तीव्र बुद्धि और श्रेष्ठ स्वभाव वाले होते थे वे जन्म से शूद्र होने पर भी वेदा अध्ययन के अधिकारी थे।[22]

इसके विपरीत स्मृतियों में कहीं भी स्त्री शिक्षा का वर्णन प्राप्त नहीं होता है । वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में स्त्रियों की शिक्षा संबंधी व्यवस्था उन्नत थी । अनेक नारियों ने वैदिक ऋचाओं की रचना भी की हैं । जैसे – अत्रि कुल की विश्वतारा ने ऋग्वेद का ५.२८ सूक्त रचा है । अपाला ने ऋग्वेद का ८-९९ और घोषा काक्षीवती ने ऋग्वेद का १०.३९ सूक्त की रचना की है । ऋग्वेद में २१ ऋषिकाओं का उल्लेख प्राप्त होता है । इनके द्वारा दृष्ट मन्त्रों की संख्या सहस्त्र है । ये मन्त्र अधिकांशत: दशम मण्डल के हैं । इन ऋषिकाओं के नाम हैं –

---

[16] *मनु-२/१०९*

[17] याज्ञ.- १/२८

[18] मनु-२/११४

[19] मनु-२/११२

[20] मनु-२/१११-११६

[21] मनु-१०/१

[22] भृगु ३/२८-३०

१.श्रद्धा कामायनी	२. शची पौलोमी	३.सार्पराज्ञी
४.यमीवैवस्वती	५. देवजामय: इन्द्रमातर:	६.इन्द्राणी
७.शश्वती आंगिरसी	८.रोमशा ब्रह्मवादिनी	९.गोधा ऋषिका
१०.उर्वशी	११. सूर्या सावित्री	१२.लोपामुद्रा
१३.अदित दाक्षायणी	१४. नदी ऋषिका	१५. विश्वातारा

बृहदारण्यकोपनिषद में दो विदुषी स्त्रियों का उल्लेख प्राप्त होता है। जिसमें से एक याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी हैं जिन्होंने ब्रह्मविषयक प्रश्न किए हैं। तथा दूसरी गार्गी जिसने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया है। आश्वलायन ने अपने गृह्यसूत्र में तीन नारी शिक्षिकाओं का उल्लेख किया है। ये हैं – गार्गी, वडवा प्रातिरथेयी एवं सुलभा मैत्रेयी।[23] वैयाकरण पाणिनि के समय में भी स्त्रियाँ अध्यापिकाएँ होती थीं। पाणिनि अध्यापन कार्य करने वाली को 'आचार्या' या 'उपाध्याया' नाम दिया है।[24]

परन्तु स्मृति ग्रन्थों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्मृतिकाल में स्त्रियों की दशा में परिवर्तन हुआ। स्त्रियों को शूद्रों की श्रेणी में रखा गया और उन्हें वेद आदि के अध्ययन से वंचित किया गया। मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर में भी कहा है कि स्त्री, शूद्र तथा शूद्रसमानधर्मा अनुपनीत द्विज तालुपर्यन्त जल जाने से पवित्र होते हैं –

"स्त्री च शूद्रश्च अन्त: अन्तर्गतेन तालुना स्पृष्टाभिरपि। 'सकृत' इति वैश्यात्विशेष:। च शब्दादनुपनीतोऽपि।" [25]

यहाँ अनुपनीत से तात्पर्य है कि जिसका उपनयन नहीं हुआ है। ध्यातव्य है कि स्मृति काल में उपनयन होने के बाद ही विद्याध्ययन शुरु किया जाता था –

"उपनीय शौचाचारांश्च शिक्षयेत्।" [26]

साथ ही ऐसा माना जाता था कि स्त्रियों के लिये विवाह ही उपनयन स्थानीय संस्कार है –

"स्त्रीणामप्येतत्समानं विवाहदर्वाक्; उपनयनस्थानीयत्वाद्विवाहस्य।" [27]

इसके विपरीत वृद्धहारीत एवं भृगुस्मृति में स्त्रियों और शूद्रों के उपनयन और वेदाध्ययन की बात कही गयी है। वृद्धहारीत के अनुसार जो भी सदाचार, सुशीलता आदि गुणों से युक्त है, वे सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र एवं स्त्रियाँ मन्त्रों के पाठ के अधिकारी हैं –

" ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्या: स्त्रिय: शूद्रास्तथेतरा:।
तस्याधिकारिण: सर्वे, सत्त्वशीलगुणा यदि॥" [28]

इस संबंध में भृगु ने कहा है कि –

"वेदा: सर्वै: सदाऽध्येया, बालिकाभिश्च बालकै:।
शैशवे कृतयज्ञोपवीतैस्तै पञ्चमाब्दत:॥" [29]

अर्थात् पाँच वर्ष की अवस्था में कन्याओं को गुरुकुल में भेज देना चाहिए। स्वच्छता और आचार से हीन तथा निकृष्ट कार्य करने वाली स्त्रियाँ और पुरुष वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। भृगु ने स्पष्ट रुप से उल्लेख किया है कि बिना अध्ययन के स्त्री और शूद्र को भी ज्ञान नहीं हो सकता है। एवं ज्ञान के अभाव में मुक्ति असम्भव है ,अत: स्त्री एवं शूद्रों को भी मुक्ति के लिए ज्ञान की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए –

---

[23] आश्व. ३/४

[24] अष्टा.४/१/७७ पर वार्तिक का भाष्य

[25] याज्ञ.स्मृ,१/२२ के मिता. टीका से उधृत

[26] याज्ञ.स्मृ. १/१५ के मिताक्षरा टीका से उधृत

[27] याज्ञ.स्मृ. १/१५ के मिताक्षरा टीका से उधृत

[28] वृ.हारी. ३/६

[29] भृगु स्मृ ३/४०

"न पत्यु: सेवया मुक्तिर्भवेज्ज्ञानैकहेतुका ।

न विनाऽध्ययनं ज्ञानं , भवेत् स्त्रीशूद्रपुत्रयो: ॥" [30]

परन्तु कहीं भी याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्री शिक्षा की बात नहीं कही है । और ना ही विज्ञानेश्वर इस विषय में अपना मत प्रस्तुत किए हैं ।

वर्तमान समय में स्थिति बिल्कुल भिन्न है । आज का प्रत्येक व्यक्ति स्त्री शिक्षा को बढावा दे रहा है । सरकार के द्वारा भी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की योजनायें शुरु की गई है । जैसे बेटी पढ़ावो बेटी बचाओ योजना । आज स्त्रियाँ शिक्षा के माध्यम से समाज में प्रतिष्ठित हो रहीं हैं । वे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापिका, बैंक तथा राजदूत एवं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अपनी सफलता का परचम लहरा रहीं हैं । वो पुरुषों से कंधा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर रहीं हैं । साथ ही साथ वे देश की सुरक्षा में भी कार्य कर रहीं हैं । स्त्रियाँ जलसेना, थलसेना तथा वायुसेना में भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहीं हैं । वो आज अंतरिक्ष में जा रहीं हैं । ज्ञान- विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रकार की शोध कार्यों को भलीप्रकार से सम्पन्न कर वैज्ञानिक पदों को सुशोभित कर रहीं हैं । इससे न केवल वो परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है बल्कि समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति भी हो रही है । वो किसी भी प्रकार से किसी के उपर निर्भर नहीं हैं और ना ही परतन्त्र।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

धर्मशास्त्र का इतिहास (भाग १-५) , पी.वी.काणे, हिन्दी समिति उतरप्रदेश, लखनऊ, १९७३-८० ।

धर्मशास्त्र का इतिहास, 'धर्मद्रुम', राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, चौखम्भा, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, २००१ ।

नारदस्मृति, नारद, ब्रजकिशोर स्वाई, चौखम्बा संस्कृत संस्थान , वाराणसी, विक्रम सम्वत् २०६५ ।

निरुक्त,यास्क, दुर्गाचार्यवृत्तिसहित, (सं.) विजय राजवाड़े, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली-८८, पूना,१९२१-२६।

मनुस्मृति, मनु, उर्मिला रुस्तगी, जे.पी.पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, २००६ ।

मनुस्मृति, मनु, (हि. अनु.) हरिगोविन्द शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सिरीज ऑफिस, वाराणसी, १९७९ ।

याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य, (मिताक्षरा व्याख्या सहित) कमलनयन शर्मा, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर, प्रथम संस्करण २००९ ।

अग्रवाल,गीतारानी, *धर्मशास्त्रों का समाज दर्शन*, आदर्श विद्या निकेतन, वाराणसी, १९८३ ।

आर्य, भारती, *स्मृतियों में नारी*, विश्व भारती अनुसन्धान परिषद्, ज्ञानपुर(वाराणसी), १९८९ ।

आर्य, प्रतिभा, *स्मृतियों में राजनीति और अर्थशास्त्र*, विश्व भारती अनुसन्धान परिषद्, ज्ञानपुर(वाराणसी), २००२ ।

[30] भृगु स्मृ १०/१५